नाले में गिरने से 2 वर्षीय बालिका की मौत, परिजनों ने धरना दिया

परिजनों का आरोप प्रशासन द्वारा नाले को बन्द नहीं करवाने से हुआ हादसा

टोंक । टोडारायसिंह उपखण्ड के हमीरपुर गांव में रविवार देर सांय 2 साल की मासूम खेलते हुए घर के बाहर ही खुले नाले में गिर गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे तुरंत बाहर निकाला और अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन शव लेकर घर के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन को नाला बंद करने के लिए कई बार कहा लेकिन उन्होने कोई सुध नहीं ली। मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से टोंक तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश की तथा परिजनो की 4 मांग मांगने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया।

टोडारायसिंह के हमीरपुर गांव में 2 साल की मासूम की नाले में गिरने से मृत्यु होने पर परिजनों ने धरना दिया।

मृतका के पिता अरबाज खान निवासी हमीरपुर ने बताया कि मेरी इकलौती बेटी अनाबिया (उम्र 2 वर्ष) जो रविवार शाम 5.45 बजे मकान के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान वह घर के पास से गुजर रहे करीब 5 फीट गहरे खुले नाले में गिर गई। नाले में गिरने के बाद उसे तुरंत बाहर निकाला गया और हमीरपुर पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरबाज ने बताया कि जिस खुले नाले में बच्ची गिरी, उसे बंद करने की मांग पहले भी पंचायत प्रशासन से कई बार शिकायत की गई थी। इस मामले में नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को भी पहले जानकारी दी गई थी।

> ■ मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से टोंक तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश की तथा परिजनों की 4 मांग मांगने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया।

इसके बाद भी कोई कार्यवाही नही की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते नाले की उचित सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती तो संभवतः हादसा टाला जा सकता था।

लंबित मांगों के समाधान की मांग

निवाई। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने पांचों विद्युत निगमों में कार्यरत तकनीकी कार्मिकों की मांगों व समस्याओं के शीघ्र निराकरण करवाने के लिए एसडीएम गंभीर सिंह को मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष रामरूप मीणा ने बताया कि तकनीकी कार्मिक विपरीत परिस्थितियों, अत्यधिक कार्यभार, त्योहारों, राजकीय अवकाशों एवं रविवार के दिनों में भी निरन्तर ड्यूटी देकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हैं। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी मांगों का समाधान नहीं होने के कारण कार्मिकों में भारी असंतोष व्याप्त है।

ज्ञापन में मुख्य रूप से अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण के लिए पारदर्शी व न्यायसंगत इंटर-डिस्कॉम तबादला नीति बनाने व टाइम बॉन्ड पदोन्नित का लाभ जॉइनिंग की तिथि से जयपुर डिस्कॉम की भांति सभी निगमों में समान रूप से लागू करवाने की मांग की गई। इसके अलावा कठिन व जोखिमपूर्ण कार्य करने की परिस्थितियों को देखते हुए हाई ड्यूटी अलाउंस, सभी कर्मचारियों को निःशुल्क बिजली सुविधा एवं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार साइकिल अलाउंस के स्थान पर मोटरसाइकिल अलाउंस लागू करवाने की मांग की है।

निर्मल पंसारी और एलन स्वामी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पावटा । पावटा-प्रागपुरा क्षेत्र के लिए खुशी और गौरव का अवसर है। पावटा-प्रागपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि भाई साहब निर्मल जी पंसारी एवं प्रागपुरा के पूर्व सरपंच एलन स्वामी को जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। दोनों के मनोनयन से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में हर्ष का माहौल है। समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने नवनियुक्त सदस्यों का अभिनंदन करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि निर्मल पंसारी एवं एलन स्वामी का जनसेवा एवं स्थानीय स्तर पर सक्रियता का अनुभव निश्चित रूप से समिति के कार्यों में उपयोगी साबित होगा। दोनों ही सदस्य आमजन की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रशासन के समक्ष रखने तथा उनके निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इस अवसर पर शुभचिंतकों ने विश्वास जताया कि दोनों नवनियुक्त सदस्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आमजन की आवाज को मजबूत करेंगे।

किशनगढ़बास में 46 परिवारों को मिला जमीन का मालिकाना हक

किशनगढ़ बास। नगर पालिका किशनगढ़ बास की ओर से घुमंतू जीवन जीने वाले गड़रिया लोहार समाज के परिवारों को स्थायी रूप से बसाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सोमवार को महाराणा प्रताप नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 46 परिवारों को मालिकाना अधिकार देते हुए भूखंडों के पट्टे वितरित किए गए। लंबे समय से अपने आशियाने और जमीन के अधिकार का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए यह दिन खुशी और भावुकता से भरा रहा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत यादव, उपखंड अधिकारी सत्यवीर सिंह यादव, नगर पालिका चेयरमैन तारामणि सतीश सिंघल, निकाय अधिकारी-कर्मचारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल, युवा नेता एडवोकेट विश्वास यादव, राजेश बटवाडा, उमेश कांत वशिष्ठ सहित भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। महाराणा प्रताप नगर में गड़रिया लोहार समाज के परिवारों को जमीन का मालिकाना अधिकार मिलने के बाद परिवारों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। बुजुर्गों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने लंबे संघर्ष के बाद मिले इस अधिकार को अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि बताया। परिवारों ने करीब दो वर्ष पहले यहां तत्कालीन उपखंड अधिकारी के रूप में कार्यरत प्रशिक्षु आईएएस घीरज सिंह के प्रयासों को भी याद किया। बताया गया कि उस दौरान नगर पालिका की बेशकीमती भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद गड़रिया लोहार परिवारों को यहां बसाने की दिशा में प्रयास आगे बढ़े। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत यादव ने तत्कालीन एसडीएम घीरज सिंह के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब भूमि खाली कराने की बात सामने आई थी, तब उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि यहां रहने वाले लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं और स्थानीय स्तर पर उनसे संवाद कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। रामहेत यादव के अनुसार इसके बाद विश्वास यादव, चेयरमैन प्रतिनिधि और अन्य लोगों के साथ प्रशासन की बातचीत हुई।

बोल बम के जयकारों से गूंजा पावटा

पावटा में कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकाली गई।

पावटा। सावन के पावन अवसर पर सोमवार को पावटा कस्बा पूरी तरह शिवमय नजर आया। बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम मंदिर महंत जयराम दास त्यागी के सान्निध्य एवं बाबा भूतनाथ कमेटी के तत्वावधान में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ढोल-ताशों की गूंज, भव्य धार्मिक झांकियों और हजारों श्रद्धालुओं के बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। पेट्रोल पंप पावटा के समीप स्थित एमके कांवड़ सेवा शिविर से सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई कांवड़ यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों एवं कॉलोनियों से होती हुई बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़िए एवं श्रद्धालु शामिल हुए। जगह-जगह नगरवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड़, पावटा पूर्व प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल मीणा, गोपाल अठावाल, बनवारीलाल यादव, शिवपाल राठी, गंगाराम मीणा, विमल गर्ग, दुर्गादत्त भारद्वाज, नगर ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष सुरेश शर्मा, हीरालाल गवारिया, मुकेश गोयल, विकास शर्मा, रामशरण बोहरा, पप्पू तूड़ी वाले सहित जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के कॉलोनियों में पहुंचते ही महिलाओं ने भी आरती एवं पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर शिवभक्तों का उत्साह बढ़ाया। पूरे यात्रा मार्ग पर धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। इस बार बंटी राज पार्टी अलवर द्वारा प्रस्तुत विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं। अघोरी एवं तांडव नृत्य की प्रस्तुतियों के साथ अग्नि प्रदर्शन प्रमुख रहा।

साइबर ठगी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में साइबर ठगी के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान में जिला स्पेशल टीम व पुरानी टोंक थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में कई स्थानों पर दबिश देकर तीन साइबर अपराधियों को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में उनके कब्जे से चार मोबाइल को जब्त किया है। पुलिस से के अनुसार आरोपी कानाराम पुत्र पप्पू लाल मीणा उम्र 22 साल निवासी तालपुरा थाना मेहंदवास, लोकेंद्र पुत्र पप्पू लाल मीणा उम्र 21 साल निवासी तुबंभीपूरा थाना उनियारा और कुलदीप पुत्र हंसराज गुर्जर उम्र 22 साल निवासी तालपुरा थाना मेहंदवास को साइबर ठगी प्रकरण में डिटेन कर प्रारंभिक जांच करने पर तीनों आरोपियों के पास से 75 फर्जी सिम का प्रयोग करना पाया गया। जिसमें आरोपी अपने मोबाइल से फर्जी फोन पे, सटका मटका कल्याण के माध्यम से वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम के माध्यम से आम जनता को मोटी रकम दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी का काम पिछले 4 सालों से कर रहे थे।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या सलमा पत्नी मोहसीन खान, निवासी-म.नं. जे-176, धन्नादास की बगीची, आदर्श नगर, जयपुर की है, मेरी अभिभाष्या का पुत्र मो. अरमान पुत्र मोहसीन खान, निवासी-35/117, प्रताप नगर, जयपुर मेरी अभिभाष्या के कहने मे नही है, मेरी अभिभाष्या के साथ दुर्व्यवहार करता है, इसलिए मेरी अभिभाष्या ने पुत्र मो. अरमान को उसके आचरण के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, भविष्य में मेरी अभिभाष्या की चल-अचल सम्पत्ति से मो. अरमान का कोई सम्बन्ध नही रहेगा, उससे जो कोई भी संव्यवहार व लेन-देन करेगा, उनकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी। सूचित रहे। जयपुर।
दिनांक 11/8/26 (अब्दुल सलाम सांखला) एडवोकेट, मोबाइल-9829184678

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्या मैना खान पुत्र श्री बाबू खान उम्र 68 वर्ष निवासी मकान नं0 4-बी, मोलाना साहब की दरगाह के पास, चार दरवाजा के बाहर, जयपुर राजस्थान ने अपने पुत्र अहसान खान व उसकी पत्नी यासमीन को उसकी नाफरमानियों की वजह से अपनी तमाम चल अचल सम्पत्ती से बेदखल कर दिया है व उन्होने अहसान खान व उसकी पत्नी यासमीन से अपने तमाम रिस्ते तोड लिये है अब मेरे अभिभाष्या मैना खान से अहसान खान व उसकी पत्नी यासमीन का कोई सरोकार नही रहा है कोई भी व्यक्ति भविष्य मे अहसान खान व उसकी पत्नी यासमीन से किसी भी प्रकार का कोई कार्य व लेन-देन नही करे अगर कोई करता है तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
दिनांकः 22-07-2026 (हुसैन बख्श) एडवोकेट
जयपुर (मो.नं.9828020514)

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र नारायण लाल व कविता पत्नि चन्द्र प्रकाश निवासी प्लाट नं0 370/4, तेलीपाड़ा, शास्त्री नगर, जयपुर के पुत्र नीरज शर्मा उम्र 28 साल पुत्री पायल शर्मा उम्र 20 साल मेरे मुवक्किल से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं व उनका सम्मान नहीं करते हैं। इसलिये मेरा मुवक्किल अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से अपने पुत्र व पुत्री को बेदखल करता है। भविष्य में मेरे मुवक्किल की चल व अचल सम्पत्ति से उसके पुत्र व पुत्री का कोई लेना देना नहीं होगा। भविष्य में कोई लेना देना भी नही होगा।
(रूकमुद्दीन एडवोकेट) मो.-6350196113

कार्यालय उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम, जयपुर (नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांकः एफ()/ न.नि.ज./मा.न.जोन/2026/ 2602 दिनांक 10.08.2026
-: सार्वजनिक सूचना :-
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विजय कुमार दावड़ा पुत्र श्री हंसराज दावड़ा एवं श्रीमती कमलेश दावड़ा पत्नि श्री विजय कुमार दावड़ा द्वारा गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर द्वारा क्वाटर संख्या 278, क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का उपविभाजन चाहा गया है। कार्यालय पूर्नवास विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 03.07.1955 को क्वाटर सं. 278 क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर की कन्वेन्स डीड श्री बुद्धाराम पुत्र श्री आया सिंह के पक्ष में जारी किया गया। श्री बुद्धाराम पुत्र श्री पाया सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.1962 के द्वारा भूखण्ड संख्या 278 क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का विक्रय श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रामचन्द्र को विक्रय किया गया। श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रामचन्द्र के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2001 के द्वारा भूखण्ड संख्या 278 क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का विक्रय अपनी पत्नि श्रीमती जया देवी पत्नि श्री प्रभुदयाल के पक्ष में किया गया। श्रीमती जया देवी पत्नि श्री प्रभुदयाल के द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2005 द्वारा भूखण्ड संख्या 278 बी, गुरूनानकपुरा, राजापार्क की अपने हिस्से का 166.66 वर्गगज का विक्रय श्रीमती कमलेश दावड़ा पत्नि श्री विजय कुमार दावड़ा एवं श्री विजय कुमार दावड़ा पुत्र श्री हंसराज दावड़ा के पक्ष में किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/ ज्ञपश-पत्र के आधार पर आवेदक के पक्ष में उपविभाजन जारी किया जाना है। इस बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम, जयपुर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार उपविभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
सहायक नगर नियोजक, मालवीय नगर जोन, नगर निगम, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री कपिल मथुकर पुत्र स्व. श्री मदन लाल, जाति बैरवा, निवासी बी-92, नॉर्थ पार्ट, गणेश नगर एक्सटेंशन 08, नियर बी एस.एस इंटरनेशनल स्कूल, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राज.) स्वयं की माताजी श्रीमती राजकुमारी पत्नि स्व. श्री मदन लाल के नाम से आवासीय फ्लेट नम्बर एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, मून रेजीडेन्सी-, प्लाट नं. 60-ए, श्रीरामपुरी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राज.) में स्थित है जिसका कुल बिल्टअप एरिया 940 वर्गफीट है जिसे मेरे मुवक्किल एवं मेरे मुवक्किल की माताजी श्रीमती राजकुमारी पत्नि स्व. श्री मदन लाल ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसका ऋण संख्या 602953673 एवं 628993372 है, उक्त श्रीमती राजकुमारी पत्नि स्व. श्री मदन लाल का स्वर्गवास 22.10.2020 को हो चुका है, श्रीमती राजकुमारी पत्नि स्व. श्री मदन लाल के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान में श्री कपिल मथुकर पुत्र स्व. श्री मदन लाल, श्री इन्द्रजीत मथुकर पुत्र स्व. श्री मदन लाल मथुकर एवं श्रीमती ज्योति मथुकर पत्नि श्री कृष्ण गोपाल पुत्री स्व. श्री मदन लाल है, इनके अलावा स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी पत्नि स्व. श्री मदन लाल का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नही है, चूंकि मेरे मुवक्किल एवं उनकी माताजी श्रीमती राजकुमारी पत्नि स्व. श्री मदन लाल के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरे मुवक्किल स्वयं की माताजी श्रीमती राजकुमारी पत्नि स्व. श्री मदन लाल के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पत्ति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहते है, इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे, अवधि समाप्ति के पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरूद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
जयपुर दिनांक
(श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
6/48, मालवीय नगर, जयपुर मोबाईल 9829218044

हेतुक दर्शित करने हेतु सूचना
न्यायालय. : बअदालत
पारिवारिक न्यायालय, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार टाक
प्रकरण संख्या :- 447/2025
सुनीता मीणा पत्नी श्री पप्पूलाल पुत्री श्री रामकरण आयु 30 वर्ष निवासी हाल आबाद चक नम्बर 14 एलएलडब्लयू, जोडकिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
-: याची
बनाम
पप्पूलाल पुत्र श्री कैलाशचन्द्र आयु 35 वर्ष निवासी सैक्टर नम्बर 10, वायस गोदाम, जयपुर तहसील व जिला जयपुर (राज0)
-: अयाची
याचिका अन्तर्गत धारा 13 (1) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
चूँकि याची ने इस न्यायालय में अयाची के विरूद्ध याचिका अन्तर्गत धारा 13 (1) हिन्दू विवाह अधिनियम की याचिका की प्रस्तुत की है कि याची, अयाची पप्पूलाल के विरूद्ध विवाह विच्छेद की आज्ञिप्त प्राप्त करना चाहती है। अतः आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में आपको कोई ऐतराज या आपत्ति हो तो आप दिनांक 02/09/26 को 10:00 बजे स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करे अन्यथा प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की जाएगी।
आज दिनांक 14/07/26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा में जारी किया गया।
मोहर अदालत
न्यायालय की आज्ञा से-मुसंरिम
पारिवारिक न्यायालय
हनुमानगढ (राज.)

परिशिष्ट A संख्यांक 2
न्यायालयःसिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर मेट्रो 1 जिला जयपुर महानगर प्रथम, (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी का नाम लकी सोनी
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5) और दूसरे
मूल सिविल वाद/338/2018
मुकेश शर्मा बनाम आनंद भवन निर्माण सहकारी समिति लि.
NEXT DATE: 14-08-2026
प्रेषिती-
आनंद भवन निर्माण सहकारी समिति लि. और दूसरे जरिये अध्यक्ष, प्लॉट नंबर। सी-77, श्याम अपार्टमेंट, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, JAIPUR, RAJASTHAN
मुकेश शर्मा ने आपके विरूद्ध के लिए वाद सस्थित किया है। आपको इस न्यायालय मे तारीख 14.08.2026 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान् प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेजे जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों की. लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जाएगा। यह आज तारीख 30-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर
आज्ञा से-रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व)
जयपुर महानगर प्रथम

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम मसर्रत बानो से बदलकर मसर्रत जहाँ W/o मोहम्मद सलीम रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। म.न.3692, गौपीनाथ वैद्य जी की गली, फूटा खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर
नई विधानसभा के पास लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक एफ ()/न.नि.ज./मा.न.जोन/2026/ 2601 दि.10.08.2026
सार्वजनिक सूचना:-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 20 पूरोहित जी का बास का पट्टा श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री भीरिलाल को क्षेत्रफल 111.63 वर्गगज का दिनांक 17.12.2007 को जारी किया गया है। श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री भीरिलाल का स्वर्गवास दिनांक 09.03.2017 को एवं इनकी पत्नि श्रीमती गुलाब देवी का स्वर्गवास दिनांक 28.11.2020 को हो चुका है। श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री भीरिलाल के वारिसान श्रीमति कांता देवी एवं श्रीमति प्रेम (बहनों) के द्वारा (अविभाजित) भूखण्ड संख्या 20 पूरोहित जी का बास का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनाक 24.03.2023 के द्वारा अपना-अपना हक आवेदको श्री लालचन्द सैनी एवं श्री तारा चन्द सैनी पुत्रान् श्री गुलाब चन्द सैनी (भाईयो) के हक में निष्पादित किया गया है। आवेदको श्री लालचन्द सैनी एवं श्री तारा चन्द सैनी पुत्रान् श्री गुलाब चन्द सैनी के द्वारा पट्टा, साइट प्लान एवं निष्पादित रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 24.03.2023 के आधार पर नगर निगम जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 20 पूरोहित जी का बास जयपुर का नाम हस्तान्तरण श्री लालचन्द सैनी एवं श्री तारा चन्द सैनी पुत्रान् श्री गुलाब चन्द सैनी के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति पश्चात् नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर

खोया पाया
मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संख्या 30289, जारी दिनांक- 24.11.2009 जो जयपुर में कहीं खो गया है किसी को मिले तो सूचित करें। अरुण कुमार लखेरा। मो.- 9829791671
मेरा मकान संख्या 74/145 टैगोर लाईन मानसरोवर, जयपुर के मूल Cash Receipts Allotment Latter, Kabja Patra रसीदें व अन्य कागजात कहीं खो गये है मिलने पर सूचित करें- किशोर धनवानी, मो.9828666555
मेरे भूखंड सं.536जे.डी.ए योजना रोहिणी नगर- रेनवाल जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र एवं कब्जा पत्र कही गुम हो गए है मिलने पर सूचित करे- सुशील कुमार मौर्य मो. 9098662037

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, मौजमाबाद जिला जयपुर
दौलत सिंह बनाम बालू वगै.
वाद संख्या-111/2003
दौलत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी गुढासहायपुरा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर राज.
-वादी
बनाम
1. बालू पुत्र जगनाथ जाति जाट निवासी बागेत तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
-प्रतिवादीगण
वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद उपरोक्त के लिये वाद संस्थित किया है, आप इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2026 को दिन में 10.00 बजे दावें का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे में या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावें या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख पर / प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 4 माह 8 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति दौसा (राज)
PH: 01427-230078 mailid- kums.dausa@rajasthan.gov.in
क्रमांकः-23827613 दिनांकः- 08.05.2026
संशोधित आवंटन सूचना
संशोधित आवंटन विज्ञप्ति मुख्य मण्डी यार्ड दौसा के गौण मण्डी यार्ड नांगल राजावतान, मानपुरिया फल-सब्जी एवं गौण मण्डी यार्ड लवाण (अनाज) हेतु आवंटन विज्ञप्ति क्रमांक 209-231 दिनांक 06.07.2026 एवं मुख्य मण्डी यार्ड दौसा में फूल-ब्लॉक हेतु आमंत्रित विज्ञप्ति क्रमांक 232-254 दिनांक 06.07.2026 के द्वारा आमंत्रित कि गई थी जिसमें आवेदन प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 06.08.2026 समय साय 5.00 बजे तक रखी गई थी। इसे 15 दिवस बढाकर दिनांक 21.08.2026 साय 5.00 बजे तक किया जाता है। सूचित रहे।
राज.संवाद/सी/26/9165 प्रशासक सचिव

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
2-2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर, फोन नम्बर 0141-2711237, 2700540
E-Mail : SECRETARY.RSTB@RAJASTHAN.GOV.IN
प्रस्ताव आमंत्रण विज्ञप्ति (378)
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के अधीनस्थ 15 वितरण केन्द्रों के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखो का आंतरिक अंकेक्षण एवं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्टोर का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन के लिए सभी प्रकार की पुस्तकों व स्थाई सामान का भौतिक सत्यापन करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म से आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स दिनांक 20.08.2026 को सायं 5 बजे तक मण्डल कार्यालय में आवेदन व्यक्तिशः / डाक द्वारा/ई-मेल द्वारा प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र एवं अन्य विवरण sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
UBN :- TBB2627SSOB00010
सचिव
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
राज.संवाद/सी/26/9290

AAVAS FINANCE LTD. SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA
आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड
(सीआईएन: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्र